आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 280/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

जम्वो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड, कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल बी एस कालेज के सामने तिलक नगर, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री फूल मोहम्मद खॉन पुत्र श्री निजामुद्दीन खॉन
2. श्रीमती गुड्डी बानो पत्नी श्री निजामुद्दीन खॉन
3. श्री आदिल खॉन पुत्र श्री फूल मोहम्मद खॉन
4. श्री निजाम खॉन पुत्र श्री खाजू खॉन

   पता :– 50, फकीरो का मोहल्ला, ग्राम करणसर, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
5. श्री हनुमान यादव पुत्र श्री राम नाथ यादव

   पता :– सनपो की ढाणी (भूरा बाबा की ढाणी) करणसर, डूंगरी साई का बास, तहसील रेनवाल, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थितः–

1. श्री भवानी सिंह नरूका अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।
2. श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

आदेश दिनांक 24.02.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.08.2015 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती गुड्डी बानो पत्नी श्री निजामुद्दीन खॉन के स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नम्बर 222 पर स्थित प्लाट नम्बर 2, ग्राम करणसर, तहसील रेनवाल जिला जयपुर क्षेत्रफल 394.25 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल 06,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 19.07.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी पक्ष की ओर से दिनांक 26.01.2022 को अभिभाषक श्री [illegible] द्वारा ने वकालतनामा पेश कर जवाब बाबत हेतु समय चाहा है।

3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 24 अक्टूबर 2018 को क्रम संख्या 13 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में नोटिफाई किया गया है।

5. अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय चाहा है किन्तु सरफेसी एक्ट की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी को पूर्व में समय दिया जा चुका है। इसलिए अधिक समय नहीं दिया जा सकता है।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को [illegible]/- रुपये का ऋण दिया है जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 08,92,307/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 19.07.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

7. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती गुड्डी बानो पत्नी श्री निजामुद्दीन खान के स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नम्बर 222 पर स्थित प्लाट नम्बर 2, ग्राम करणसर, तहसील रेनवाल जिला जयपुर क्षेत्रफल 344.25 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

8. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर / पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति दस्ती कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।

9. आदेश आज दिनांक 24.02.2022 को खुले इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला मजिस्ट्रेट
([illegible]) जयपुर